पाञ्चजन्य

फाल्गुन शुक्ल ६, २०५९ वि. (युगाब्द ५१०४) • ९ मार्च, २००३ • रु. ७.०० अन्तरताना संस्करण www.panchjanya.com

मध्यवर्ग को राहत लेकिन कृषि क्षेत्र उपेक्षित

-प्रो. जयदेव अग्रवाल

निदेशक, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फाइनेंस

वित्तमंत्री जसवंत सिंह ने मध्य वर्ग का बहुत ध्यान रखा है। मध्य वर्ग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजें सस्ती हो जाएंगी। इन चीजों पर उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में काफी कमी की गई है। दूसरा, बजट में बीमा योजना और सामाजिक सुरक्षा के लाभकारी मानक सामने रखकर इस बात को प्रोत्साहित करने की कोशिश की गई है कि लोग स्वरोजगार अपनाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना बनाई गई है। इसके तहत यदि ५ लोगों का परिवार १.५० रुपए प्रतिदिन व ७ लोगों का परिवार २ रुपए प्रतिदिन दें, तो उस परिवार के लगभग ३५,००० रुपए तक का अस्पताल का खर्चा उसे बीमे की सीमा में आ सकता है। यह सुविधा पहले उपलब्ध नहीं थी। मध्य वर्ग के परिवारों के लिए सरकार ने एक कर-कटौती लागू की है जिसमें बच्चे की शिक्षा के लिए १२,००० रुपए तक की छूट मिलेगी। इसी प्रकार, वरिष्ठ नागरिकों की आय पर भी करों में कटौती की गई है। ब्याज दर के अन्तरराष्ट्रीय मानक हैं। उस स्पर्द्धा में आने और सरकार के ब्याज पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि की ब्याज दर में एक प्रतिशत की कमी की गई है। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लग सकता है कि आम आदमी पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन यदि कुल मिलाकर व्यापक परिदृश्य में देखें तो ऐसा नहीं होगा। इस समय महत्वपूर्ण यह है कि बचत की ओर ज्यादा ध्यान न देकर मांग और व्यय को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं। इससे उद्योग विकसित होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ढांचागत विकास के लिए १०,००० किमी. की सड़कों के निर्माण से भी रोजगार बढ़ेगा। रेलवे के विकास के लिए भी कुछ सर्जनात्मक नीतियां बनाई गई हैं। १०,००० करोड़ रुपए की लागत से दो हवाई अड्डे बनाने की योजना के अलावा बंदरगाहों को भी विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, निजी सहभागिता को वास्तविक रूप में बढ़ाने की कोशिश की गई है। चार हवाई अड्डों (बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली और मुम्बई) के निर्माण और रखरखाव का जिम्मा निजी क्षेत्र को देने का निर्णय लिया गया है। सड़कों के लिए ४०,००० करोड़ रुपए और ढांचागत विकास के लिए कुल ६३,००० करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

इस अर्थसंकल्प से एक बात साफ दिखाई देती है, भारत प्रगति की ओर तेजी से बढ़ना चाहता है।

इस अर्थसंकल्प से एक बात साफ दिखाई देती है, भारत प्रगति की ओर तेजी से बढ़ना चाहता है। पिछले १०-१२ साल से जो अर्थनीतियां बनायी गयीं, उनके बारे में कहा गया कि आर्थिक सुधार तो हो गए, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया। लेकिन यह अर्थसंकल्प उन सुधारों को लागू करने की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। यह आर्थिक सुधारों और वैश्वीकरण की प्रक्रिया तो तेज करेगा ही, हमारे उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में खड़ा करने की क्षमता को बढ़ाएगा। इससे आम आदमी कर विभागों में भ्रष्टाचार की मार से बच सकेगा। इस अर्थसंकल्प से मध्यमवर्ग को लाभ मिलेगा। लाभांश कर नहीं लगेगा। अमीर लोगों ने जो शेयर खरीदे हैं, उन पर कम्पनी १२.५ प्रतिशत कर देगी। जिसकी २५ लाख, ५० लाख, ५ करोड़ रुपए, १० करोड़ आय है, तो उसे लाभांशकर की छूट होगी। इसी प्रकार 'म्यूचुअल फंड' के जरिये पूंजी बाजार को बढ़ाने के लिए उस पर एक साल के लिए कोई कर नहीं लगेगा। ■

नए अर्थसंकल्प के मुख्य बिन्दु

●व्यक्तिगत आयकर पर ५ प्रतिशत अधिभार। ● अंशधारियों के लिए लाभांश पूर्णतः कर मुक्त। ●वरिष्ठ नागरिकों एवं विकलांगों को करों में और राहत। ●५५ वर्ष से ऊपर आयु के लोगों के लिए वरिष्ठ पेंशन योजना। ●सीमा शुल्क ३० प्रतिशत से घटाकर २५ प्रतिशत। ●मोटर कारें, वातानुकूलन यंत्र, शीतल पेय सस्ते होंगे। ●ढांचागत विकास पर विशेष बल। ४०,००० करोड़ रुपए की लागत से ४८ नई सड़कों के निर्माण की योजना। ●दो हवाईअड्डों और दो बंदरगाहों का आधुनिकीकरण। ●कपड़ा उद्योग के लिए विशेष प्रावधान। कपड़ों और सिले हुए वस्त्रों पर उत्पाद शुल्क में कमी। ●गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास हेतु योजनाओं की जांच के लिए समिति का गठन। ● वेतनभोगियों को यात्रा अवकाश भत्ते की सुविधा फिर। ●सार्वजनिक भविष्य निधि और लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर एक प्रतिशत कम। ●जीवन